

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

26860 - रमजान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करने की नीयत से शक के दिन रोज़ा रखना

प्रश्न

मुझे इस बात की जानकारी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (आप पर अल्लाह की दया और शान्ति अवतरित हो) ने शक के दिन रोज़ा रखने से रोका है, इसी तरह रमजान के महीने से एक दो दिन पहले रोज़ा रखने से भी मना किया है। किन्तु, क्या मेरे लिए इन दिनों में पिछले रमजान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना जायज़ है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

जी हाँ, शक के दिन और रमजान से एक या दो दिन पहले, पिछले रमजान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना जायज़ है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह बात प्रमाणित है कि आप ने शक के दिन (अर्थात् 30 शाबान को) रोज़ा रखने से रोका है। तथा आप ने रमजान शुरू होने से एक या दो दिन पहले ही से रोज़ा रखने से भी मना किया है। किन्तु यह निषेध उस समय है जब आदमी की उन दिनों में रोज़ा रखने की कोई आदत न हो, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि: "रमजान से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस आदमी के जो - इन दिनों में - कोई रोज़ा रखता रहा हो तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : 1914, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1082)

अतः : यदि किसी इंसान की - उदाहरण के तौर पर - सोमवार को रोज़ा रखने की आदत है और वह दिन शाबान के अन्तिम दिन को पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उस दिन स्वैच्छिक (नफली) रोज़ा रखना जायज़ है और उसे उस दिन रोज़ा रखने से रोका नहीं जायेगा।

जब - शक के दिन - नियमित रूप से रखा जाने वाला नफली (स्वैच्छिक) रोज़ा रखना जायज़ है, तो रमजान की क़ज़ा का रोज़ा रखना तो और अधिक जायज़ है, क्योंकि यह वाजिब (अनिवार्य) है। तथा इस लिए भी कि - पिछले रमजान के छूटे हुए रोज़ों की - क़ज़ा को अगले रमजान के बाद तक विलंब करना जायज़ नहीं है।

इमाम नववी रहिमहुल्लाह अपनी किताब "अल-मजमू" (6/399) में कहते हैं :

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

"हमारे असहाब का कहना है : बिना किसी मतभेद के शक के दिन रमज़ान का रोज़ा रखना सही नहीं है . . . यदि वह उस दिन क़ज़ा या नज़्र (मन्नत) या कफ़़ारा (परायश्चित) का रोज़ा रखता है तो वह उसके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि जब उसमें कोई ऐसा नफ़ली (स्वैच्छिक) रोज़ा जिसका कोई कारण हो, रखना जायज़ है तो फ़र्ज़ (अनिवार्य) रोज़ा रखना तो और अधिक जायज़ होगा, उस वक़्त के समान जिसमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है, (परन्तु उसमें कोई कारण वाली नमाज़ पढ़ना जायज़ है)। तथा इसलिए भी कि यदि उसके ऊपर - पिछले - रमज़ान के एक दिन के रोज़े की क़ज़ा करना बाक़ी है, तो उसपर (उस शक के दिन में) रोज़ा रखना निश्चित रूप से अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसके क़ज़ा करने का समय तंग (सीमित) हो गया।" (इमाम नववी की बात समाप्त हुई।)